रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122020-223724
**CG-DL-E-16122020-223724**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 634] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2020/अग्रहायण 25, 1942**
**No. 634] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020/AGRAHAYANA 25, 1942**

## खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2020

**सा.का.नि. 766(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय खान ब्यूरो (विद्युत फोरमैन और यांत्रिक फोरमैन) भर्ती नियम, 1990, को जहां तक उनका संबंध विद्युत फोरमैन के पद से संबंध है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में विद्युत फोरमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, विद्युत फोरमैन (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो नियम के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता** —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम** | **पद की संख्या** | **वर्गीकरण** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** | **चयन पद है या अचयन पद** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. विद्युत फोरमैन | 3* (2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित। | वेतन मैट्रिक्स स्तर में – 06 (35400-112400 रु.) | चयन पद |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु – सीमा** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो** | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
|---|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | (i) 67% प्रतिनियुक्ति द्वारा<br>(ii) 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने हो पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति :**<br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500 - 81100 रु.) में ऐसे विद्युत पर्यवेक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हों और भारतीय खान ब्यूरो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित विद्युत मशीनों और यंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।<br><br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br><br>**प्रतिनियुक्ति :**<br><br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी :-<br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200 – 92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की है, तथा<br><br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव वाले :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा;<br>(ii) विद्युत मशीनों और यंत्रों को लगाने, मरम्मत, अनुरक्षण में 5 वर्ष का अनुभव।<br><br>**टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br><br>**टिप्प्ण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br><br>(1) अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष<br>(2) मुख्य रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य<br>(3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| | |
|---|---|
| **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-**<br>(1) अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष<br>(2) अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य<br>(3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। | |

[फा.सं. 22/4/2019-एम-III]

संजय लोहिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2020

**G.S.R. 766(E).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines, (Electrical Foreman and Mechanical Foreman) Recruitment Rules, 1990, in so far as it relates to the post of Electrical Foreman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrical Foreman in the Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

**1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Electrical Foreman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix**.—The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications .—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post** | **Number of post** | **Classification** | **Level in pay matrix** | **Whether selection post or non-selection post** | **Age-limit for direct recruits** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Electrical Foreman | 3 (2020)<br>* Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group, 'B', Non Ministerial, Non-Gazetted | Level-6 in the pay matrix<br>(Rs.35400- 112400) | Selection post | Not applicable |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees** | **Period of probation, if any** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods** |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two Years | (i) 67 per cent. by deputation<br>(ii) 33 per cent. by promotion failing which deputation. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation /absorption to be made** |
|---|
| (11) |
| **Promotion:** Electrical Supervisor in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years service after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of repairs and maintenance of electrical machines and apparatus conducted by Indian Bureau of Mines or any recognised Institute.<br>**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation:**<br>Officers under the Central Government or States Government or Union territory Administration:-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience:<br>(i) At least Diploma in Electrical Engineering from a recognised institution or University.<br>(ii) five years' experience in installation, repairs, maintenance of electrical machines and apparatus.<br>**Note 1:** The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** Period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion) consisting of:-**<br>(1) Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines -Chairman<br>(2) Chief Chemist, Indian Bureau of Mines —Member<br>(3) Director (Administration), Indian Bureau of Mines -Member.<br>**Group 'B' Departmental Confirmation Committee: (for considering confirmation) consisting of:-**<br>(1) Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines -Chairman<br>(2) Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines -Member<br>(3) Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines -Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 22/4/2019-M-III]

SANJAY LOHIYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.16 21:27:04 +05'30'